दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 01 अक्टूबर, 2024

रि.या.(सि.) 12597/2024

श्री अमरदीप सिंह बेदी .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राजीव अरोड़ा, श्री एस.पी. अरोड़ा, अधिवक्तागण

बनाम

भारत संघ और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री फ़रमान अली, वरि.पै.अधि. सह सुश्री उषा जमनाल, श्री हुसैन आदिल तक़वी, अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला

निर्णय

न्या. संजीव नरूला (मौखिक):

1. याचिकाकर्ता एक भारतीय नागरिक है जिसके पास दिल्ली, भारत के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी वैध भारतीय पासपोर्ट है जिसका नंबर टीxxxxxx2 (गोपनीयता हेतु छिपाया गया) है। इस पासपोर्ट का नवीनीकरण किया गया है और यह 01 मई, 2029 तक वैध है।

2. याचिकाकर्ता, अपनी सांपत्तिक कंपनी मेसर्स बेदी एंड बेदी एसोसिएट्स के साथ, वर्तमान में पुलिस थाना देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में पंजीकृत दो प्राथमिकियों - सं. 15/2013 और सं. 58/2013 - का सामना कर रहा है। ये प्राथमिकियाँ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने डीएमआरसी और एनपीएल साइटों पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि अंशदान काट लिया, लेकिन वह कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार इसे जमा करने में विफल रहा।

3. प्राथमिकियाँ दर्ज होने के बाद, ईपीएफ़ अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली (उत्तर) द्वारा एक न्यायिककल्प जाँच की गई थी। यह जाँच ईपीएफ़ अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत 28 सितंबर, 2019 के एक आदेश में परिणत हुई, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता और मुख्य नियोक्ता दोनों संयुक्त रूप से और अलग-अलग ईपीएफ़ अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से पीएफ़ अंशदान जमा करने के लिए उत्तरदायी थे। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को आरपीएफ़सी द्वारा निर्धारित 7,485,753 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। यह राशि याचिकाकर्ता द्वारा 20 मार्च, 2019 के डिमांड ड्राफ़्ट के माध्यम से विधिवत भुगतान की गई थी। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त प्राथमिकों को अभिखंडित करने की

माँग करते हुए याचिकाएँ दायर की हैं, जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में, याचिकाकर्ता की शिकायत प्रत्यर्थीगण द्वारा पुलिस क्लीरेंस प्रमाणपत्र (पीसीसी) जारी करने से इनकार करने से उत्पन्न हुई है, जो कनाडा में स्टार्ट-अप वीज़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जहाँ याचिकाकर्ता एक व्यवसाय उद्यम स्थापित करना चाहता है। कनाडा के वीज़ा नियमों के अनुसार, आवेदक को कनाडा में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अपने निवास के देश से एक पीसीसी जमा करना होगा। इस आवश्यकता के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने उक्त पीसीसी जारी करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 15 अप्रैल, 2024 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद उसी उद्देश्य के लिए 14 मई, 2024 को एक नया आवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थीगण की आपत्तियों का समाधान करने के लिए याचिकाकर्ता ने विचारण न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ उसके विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित है, तथा पीसीसी जारी करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को निर्देश देने की माँग की। हालाँकि, 26 जून, 2024 को इस अनुरोध को खारिज कर दिया गया और विचारण न्यायालय ने उल्लेख किया कि उसके पास ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

6. इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय से संपर्क किया है, जिसमें पीसीसी जारी करने के लिए निर्देश देने की माँग की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री राजीव अरोड़ा ने अन्य उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने पीसीसी जारी करने के संबंध में इसी तरह के मुद्दों को संबोधित किया है। वह विशेष रूप से केरल उच्च न्यायालय द्वारा 16 सितंबर, 2021 को रि.या.(सि.) 17201/2024 में पारित ***"सिजू बनाम क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी"*** नामक निर्णय पर भरोसा करते हैं, जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित विनिर्णय दिया था:

> *"5. उपर्युक्त नमूने से यह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र तभी पाने का हकदार है, जब उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल जानकारी न हो, जो उसे यात्रा सुविधाएँ प्राप्त करने के अयोग्य ठहराए। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि किसी आपराधिक मामले का लंबित होना ऐसा कारण नहीं है, जो किसी व्यक्ति को भारत में यात्रा सुविधाएँ प्राप्त करने के अयोग्य ठहराए। विधि की आवश्यकता यह है कि यदि कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो व्यक्ति केवल उस न्यायालय की अनुमति से यात्रा करने का हकदार है, जिसके समक्ष मामला लंबित है। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, याचिकाकर्ता को आपराधिक न्यायालय ने अपने रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता यात्रा सुविधाओं के लिए अयोग्य है। साथ ही, यह भी नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल जानकारी नहीं है।*

6. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस न्यायालय ने जयन बनाम भारत संघ [(2018) 4 केएलटी 1077] में देखा था कि केवल अपराध का पंजीकरण पासपोर्ट अधिनियम की धारा 5.6 या धारा 10 का अवलंब नहीं लेता है,

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध संख्या 187/2021 के रूप में दर्ज अपराध के बावजूद, याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करने पर कोई रोक नहीं है। ऐसा दो कारणों से है (i) विधि के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में कोई "आपराधिक कार्यवाही" लंबित नहीं है, और (ii) यदि इसे लंबित भी माना जाता है, तो चूँकि याचिकाकर्ता ने दंडाधिकारी के न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर ली है, इसलिए उसे वैध पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, तो पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा उसे पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार करना सभी तर्कों को विफल कर देता है।

8. ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता को पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक आपराधिक मामला लंबित है और आपराधिक न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपने रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है। इस तरह का प्रमाणपत्र ऊपर उल्लिखित परिशिष्ट-32 में निहित नमूने में उचित बदलाव करके जारी किया जा सकता है। यह आज से एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा।"

7. उपरोक्त निर्णय के आलोक में, श्री अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि यदि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थीगण को भी इसी प्रकार का निर्देश जारी किया जाता है तो याचिकाकर्ता संतुष्ट हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पीसीसी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध लंबित प्राथमिकियों का संकेत दिया है, तो भी वह

पीसीसी जमा करने और वीज़ा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा; और इसलिए याचिकाकर्ता के विदेश यात्रा करने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. श्री फ़रमान अली, वरि.पै.अधि. जो प्रत्यर्थी सं. 1 का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने बयान दिया कि वे प्रत्यर्थी सं. 2 का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा जारी दिनांक 03 सितंबर, 2024 के पत्र की प्रति सौंपी है। पत्र में याचिकाकर्ता के विरुद्ध 'प्रतिकूल' रिपोर्ट को रेखांकित करते हुए बयान दिया गया है कि:

> *"2. सिस्टम में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता ने कनाडा के लिए दिनांक 15/04/2024 की फ़ाइल संख्या डीएल4086972584024 के अंतर्गत पीसीसी [पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र] के लिए आवेदन किया है, जिसके लिए पुलिस प्राधिकारी ने एक 'प्रतिकूल' रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:*
>
> *"आवेदक परिवार के साथ बाहर है, उसने व्हाट्सएप पर उत्तर दिया कि वह बाहर है और वह दस दिन से नहीं आया है, इसलिए उसका सत्यापन अस्वीकार कर दिया गया है, उसने फिर से पीसीसी के लिए आवेदन किया, उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट संलग्न है। अतः प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।*
>
> *3. उपलब्ध अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि आवेदक ने उपरोक्त आवेदन को आगे बढ़ाने के बजाय, कनाडा के लिए दिनांक 14/05/2024 को डीएल4086981436624 संख्या के अंतर्गत पीसीसी के लिए फिर से आवेदन किया है, जिसमें पुलिस प्राधिकारी*

ने फिर से एक 'प्रतिकूल' रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित बयान दिया गया है:

"आवेदक भारत का नागरिक है, वह प्राथमिकी सं. 15/2013 धारा 406/409/420 भा.दं.सं. पुलिस थाना डीबीजे रोड दिल्ली और प्राथमिकी सं. 58/2013 धारा 406/409 भा.दं.सं. पुलिस थाना डीबीजे रोड दिल्ली के मामले में शामिल है, उसने कोई न्यायालय आदेश और निराक्षेप प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं दिया है। इसलिए प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

4. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पीसीसी एक अलग विविध सेवा है। पीसीसी का उद्देश्य आवेदक का आपराधिक इतिहास स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त, इसका उपयोग विदेशी देशों द्वारा उन आवेदकों के दीर्घकालिक आव्रजन अनुरोधों को संसाधित करने के लिए किया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ स्थायी निवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं। पीसीसी जारी करना आवेदक के आपराधिक इतिहास या किसी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति को दर्शाता है।

5. पीसीसी जारी करने के लिए वर्तमान आवेदन में, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के माध्यम से इस कार्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि आवेदक आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा है, जिसे याचिकाकर्ता ने स्वयं भी स्वीकार किया है।

6. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि धारा 6(2)(च) के प्रावधान से छूट केवल जीएसआर 570(ङ) दिनांक 25.08.1993 के अनुसार पासपोर्ट जारी करने पर लागू है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम 1980 के अंतर्गत आवेदक को पीसीसी प्राप्त करने के लिए एनओसी देने का कोई उपबंध नहीं है, यदि कोई आपराधिक मामला लंबित है। पासपोर्ट मैनुअल के अनुसार भी, पीसीसी एक प्रमाण पत्र है जो पुलिस क्लीयरेंस को दर्शाता है। यह मूल रूप से

आपराधिक पृष्ठभूमि की जाँच और पुलिस से पुष्टि से संबंधित है कि कोई आपराधिक मामला नहीं है।

7. हालाँकि, यदि राज्य को कोई आपत्ति नहीं है और वह 'स्पष्ट' पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो याचिकाकर्ता को पीसीसी जारी किया जा सकता है क्योंकि यह राज्य की ओर से जारी किया जाता है ताकि विदेशी देश को यह सुनिश्चित किया जा सके कि याचिकाकर्ता आपराधिक कार्यवाही में शामिल नहीं है। पीसीसी जारी करने से संबंधित देश को दीर्घकालिक वीज़ा देने में मदद मिलेगी।"

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष:</u>

9. न्यायालय ने इस मामले की परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। पीसीसी जारी करना एक विविध सेवा है, जैसा कि पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 2(घ)(iv) में परिभाषित किया गया है, जो पासपोर्ट प्राधिकारियों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त की अनुपस्थिति की पुष्टि करने के लिए जारी किया जाता है, मुख्य रूप से दीर्घकालिक वीज़ा और आप्रवासन अनुरोधों के उद्देश्य से। ऐसे पीसीसी की आवश्यकता उस देश की वीज़ा आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है जहाँ आवेदक यात्रा करना चाहता है। इस प्रकार, भले ही पीसीसी पासपोर्ट अधिनियम, 1967 या पासपोर्ट नियम, 1980 द्वारा सख्ती से शासित नहीं है, फिर भी इसका उल्लेख भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए एक विविध सेवा के रूप में किया गया है, जिन्हें विदेशी देशों के आप्रवासन अधिकारियों की विशिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। पीसीसी का उद्देश्य यह इंगित करना है कि आवेदक का कोई आपराधिक

अभिलेख नहीं है, अनिवार्य रूप से राज्य द्वारा किसी विदेशी देश को यह आश्वासन दिया जाता है कि आवेदक किसी भी चल रही आपराधिक कार्यवाही में शामिल नहीं है। हालाँकि, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय केवल तभी पीसीसी जारी कर सकता है जब उसे संबंधित अधिकारियों से 'स्पष्ट' पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो।

10. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को 2013 में उसके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकियों के संबंध में अग्रिम जमानत दी गई है। इस जमानत की शर्त यह है कि याचिकाकर्ता को जाँच अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने पर जाँच में शामिल होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता की यात्रा पर कोई प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किया है। यह भी उचित है कि इन दो प्राथमिकियों के अतिरिक्त याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अन्य आपराधिक मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त, आरपीएफ़सी द्वारा की गई न्यायिककल्प कार्यवाही के अनुसार, याचिकाकर्ता ने ईपीएफ़ अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक भविष्य निधि जमा करके अपनी देनदारी पूरी कर ली है।

11. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के पास वैध पासपोर्ट है, जिसे 2029 तक नवीनीकृत किया गया है, जो उसे भारत से बाहर यात्रा करने में सक्षम बनाता है। उसके पास कनाडा के लिए वैध एकाधिक-प्रवेश वीज़ा भी है, जो उसे उस देश में प्रवेश की अनुमति देता है। हालाँकि, उसकी वर्तमान चिंता कनाडा के

स्टार्ट-अप वीज़ा कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता से उत्पन्न होती है, जिसके लिए आवेदक के निवास के देश से पीसीसी जमा करना आवश्यक है।

12. प्रत्यर्थी द्वारा बताए गए तथ्यों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि पीसीसी से इनकार करने का एकमात्र आधार प्रत्यर्थी सं. 2 की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध लंबित प्राथमिकी का अस्तित्व है। हालाँकि, इस बात पर ज़ोर दिया जाना चाहिए कि केवल एक आपराधिक मामले का लंबित होना किसी व्यक्ति को विदेश में दीर्घकालिक अवसरों की तलाश करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से स्वतः ही अयोग्य नहीं ठहराता है। जबकि प्रत्यर्थी सं. 1 - विदेश मंत्रालय, विदेशी अधिकारियों को सटीक जानकारी प्रदान करने के अपने दायित्व को इंगित करने में सही है, यह ज़िम्मेदारी याचिकाकर्ता के दीर्घकालिक वीज़ा के लिए आवेदन करने के अधिकार को अनुचित रूप से कम करने तक विस्तारित नहीं है।

13. विधिक ढाँचे की माँग है कि, ऐसे मामलों में जहाँ आपराधिक कार्यवाही लंबित है, व्यक्ति को यात्रा करने से पहले संबंधित न्यायालय से आवश्यक अनुमति लेनी चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता के पास वैध पासपोर्ट है और उसके यात्रा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, उसका प्रयास केवल यात्रा से परे है और किसी विदेशी देश में व्यवसाय स्थापित करने के लिए दीर्घकालिक वीज़ा प्राप्त करने के उसके अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद 19(1)(छ) के अंतर्गत किसी व्यवसाय या कारोबार में संलग्न होने के उसके

मौलिक अधिकार से संबंधित है। याचिकाकर्ता, किसी भी अन्य भारतीय नागरिक की तरह, देश के भीतर और बाहर किसी भी वैध व्यवसाय या व्यापार को अनुमेय रूप से आगे बढ़ाने का संवैधानिक अधिकार रखता है। प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दी गई 'प्रतिकूल' रिपोर्ट इस आधार पर पीसीसी जारी करने पर आपत्ति जताती है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं और कोई एनओसी नहीं है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने एनओसी जारी करने के उद्देश्य से विचारण न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था, हालाँकि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

14. उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय की राय में, भले ही राज्य के पास अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत नागरिक के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में, केवल प्राथमिकियाँ लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता को पीसीसी से वंचित करना, बिना किसी दोषसिद्धि या दोषिता के, एक अनुचित प्रतिबंध है। इसलिए, केवल मामले के लंबित होने के आधार पर वीज़ा हासिल करने के उनके प्रयासों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना अन्यायपूर्ण होगा।

15. जबकि यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल जानकारी मौजूद है, यह भी उल्लेख करना उतना ही प्रासंगिक है कि उसका

पासपोर्ट 2019 में एक दशक के लिए नवीनीकृत किया गया था। यह नवीनीकरण दर्शाता है कि पासपोर्ट अधिकारियों को उस समय उसे यात्रा विशेषाधिकारों से वंचित करने का कोई कारण नहीं मिला। उन्हीं अधिकारियों द्वारा अब केवल लंबित प्राथमिकियों के आधार पर पीसीसी जारी करने से इनकार करना असंगत होगा। पीसीसी जारी करने से न तो चल रही आपराधिक कार्यवाही प्रभावित होगी और न ही याचिकाकर्ता को कोई अनुचित लाभ मिलेगा। पीसीसी की प्राथमिक भूमिका किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, न कि लंबित मामलों के आधार पर व्यापक प्रतिबंध लगाना। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के काम करने के अधिकार और यात्रा करने की स्वतंत्रता को केवल इन प्राथमिकियों के अस्तित्व पर अनुचित रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।

16. इन विचारों के आलोक में, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के अधिकारों और हितों को प्रत्यर्थीगण के संप्रभु के रूप में बाध्यता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को एक पीसीसी जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो और साथ ही यह तथ्य भी हो कि याचिकाकर्ता ने आवश्यक जमा करके आरपीएफ़सी के आदेश का अनुपालन किया है। इससे कनाडाई अधिकारियों को उसके वीज़ा आवेदन के मूल्यांकन के लिए पूरी पारदर्शिता मिलेगी। पासपोर्ट नियम, 1980 के

अनुसार निर्धारित पीसीसी आवेदन को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। आज से दो सप्ताह के भीतर पीसीसी जारी किया जाएगा।

17. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का लंबित आवेदनों के साथ निपटान किया जाता है।

न्या. संजीव नरूला

1 अक्टूबर, 2024
एबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*